राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	3729/2016	डॉ. संजीव दास	1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 3. आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बीमा भवन, बनी पार्क, जयपुर। 4. राजस्थान लोक सेवा आयोग जरिये सचिव। 5. श्री ओमप्रकाश गुर्जर (रिपोर्टिंग ऑफिसर) आर/ओ 137, गुरूद्वारा रोड़, गोल्फ कॉर्स, जोधपुर। 6. श्रीमती रितु नन्दा, अति. निदेशक, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2.	3730/2016		

आदेश की दिनांक : 26.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सौगत रॉय, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री सौम्या शर्मा, (संयुक्त निदेशक), प्रभारी अधिकारी

प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री रविन्द्र पाल सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त तालिका में अंकित दोनों अपीलें एक ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। दोनों ही अपीलों में समान विवाद बिन्दु है। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस समान आदेश के द्वारा किया जा रहा है।
2. अपील संख्या 3729/2016 में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की वष 2004–05 की एपीएआर में प्रतिकुल टिप्पणियां अंकित की गई हैं, जो बिना किसी उचित आधार के की गई हैं। यह भी अंकित किया गया है कि उक्त वर्ष 2004–05 की प्रतिकुल टिप्पणियों के आधार पर अपीलार्थी को वर्ष 2010–11 की डीपीसी में संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया।
3. इसी प्रकार अपीलार्थी ने अन्य अपील संख्या 3730/2016 में वर्ष 2005–06 की एपीएआर की प्रतिकुल टिप्पणियों को चुनौती दी है एवं यह भी प्रार्थना की है कि अपीलार्थी के संबंध में रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार में रखा जायें। अपीलार्थी का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि वर्ष 2004–05 की जो एपीएआर भरी गई, वह अपीलार्थी की ओर से पेश नहीं की गई थी, अपितु प्रत्यर्थी विभाग ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त एपीएआर तैयार की है। अपीलार्थी के

संबंध में जो भी प्रतिकुल प्रविष्ठियां है, वे गलत आधार पर अंकित की गई हैं, जिनको नजरअंदाज किया जा सकता है और एपीएआर वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 की प्रतिकुल टिप्पणियों को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ दिये जाने पर विचार किया जा सकता था।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से दोनों अपीलों में जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि किसी भी वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अगले वर्ष 30 अप्रेल तक स्वयं प्रतिवेदित द्वारा प्रस्तुत किये जाने का दायित्व है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय अवधि में अपनी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रतिवेदन अधिकारी को प्रस्तुत नही की गई, इसलिए प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा उचित प्रतिक्षा के पश्चात् दिनांक 01.07.2005 को Ex-parte (इकतरफा) मूल्यांकन रिपोर्ट भरकर समीक्षा हेतु समीक्षक अधिकारी को भिजवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत नही किये जाने का दायित्व पूर्ण नहीं किया गया, जो कि अपीलार्थी की घोर लापरवाही का द्योतक है। वर्ष 2011–2012 हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई तथा नियमानुसार अपीलार्थी के सेवाभिलेख एवं वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में कुप्रविष्टियां अंकित होने के कारण नियमानुसार अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित किया गया। पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही का मद संख्या 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि समिति ने पात्रता की विचार सीमा में आने वाले सभी राजसेवकों के पिछले 7 वर्षो (वर्ष 2002–2003 से 2008–2009) के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों एवं अन्य सुसंगत सेवा अभिलेख का अवलोकन/परीक्षण कर लिया गया है। पात्रता सूची के क्रम संख्या–3 पर अंकित श्री संजीव कुमार दास के वर्ष 2004–2005 के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टियां अंकित होने के कारण यह समिति इन्हें वर्ष 2010–2011 में पदोन्नति से वंचित करने की सिफारिश करती है। वर्ष 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013 तथा 2013–2014 की पदोन्नति प्रक्रिया पश्चात् नियमानुसार तत्कालीन वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुरूप तैयार की गई वर्ष 2010–2011 में अपीलार्थी को वर्ष 2004–2005 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल कुप्रविष्टियों के कारण वर्ष 2011–2012 में वर्ष 2005–2006 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण वर्ष 2012–2013 में वर्ष 2006–2007 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन

प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टियां होने के कारण पदोन्नति से नियमानुसार वंचित रखा गया तथा वर्ष 2013–2014 में अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन होने से अपीलार्थी का पदोन्नति का प्रकरण सील कवर में रखा गया, इस कारण से अपीलार्थी से कनिष्ठ अधिकारी को यथा उपयुक्त स्थान पर नियमानुसार पदोन्नति के फलस्वरूप वरिष्ठता प्रदान की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नही है। विभाग स्तर पर आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में वर्ष 2010–2011 से लगातार अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार किया गया तथा वर्ष 2010–2011 में अपीलार्थी को वर्ष 2004–2005 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण, वर्ष 2011–2012 में वर्ष 2005–2006 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण वर्ष 2012–2013 में वर्ष 2006–2007 में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण पदोन्नति से वंचित रखा गया तथा वर्ष 2013–2014 में अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन होने से अपीलार्थी के पदोन्नति संबंधी प्रकरण को सील कवर में रखा गया।

5. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. अपीलार्थी द्वारा दोनों ही अपीलों में एपीएआर में अंकित प्रतिकुल टिप्पणियों को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई हैं। जहां तक अपीलार्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्ठियों को हटाये जाने का प्रश्न है, तो हमारे मत में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण Tayyab Ali Vs State of Rajasthan 1988(2)WLN255 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः–

> *"We are therefore, of the opinion that an adverse entry in the Annual Performance Appraisal Report or any order rejecting representation against the same is not included within the ambit of Sub-clause (v) of Clause (f) of Section 2 of the Act; and, therefore, an appeal to the Tribunal merely against such an adverse entry or an order rejecting the representation against the same does not lie under the Act. We are also of the opinion that even though such an adverse entry or an order rejecting the representation against the same by itself is not appealable to the Tribunal as already stated, yet the correctness thereof can be assailed by the Government Servant while challenging any consequent order based on or influenced by it relating, to any of the matters specified in the*

several sub-clauses of Clause (f) of Section 2; and in that event the limitation for appeal to the Tribunal will be reckoned from the date of the consequent order and not the date of the adverse entry or the order rejecting the representation against it. We answer the above quoted question accordingly."

7. उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते है कि प्रतिकूल प्रविष्ठियों के संबंध में इस अधिकरण को विचारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

8. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना की है कि जो प्रतिकुल टिप्पणियां वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 की एपीएआर में अंकित की गई हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी को उसे पदोन्नति का लाभ दिया जावें। हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो वर्ष 2004–05 में प्रतिकुल प्रविष्ठियां है, वो निम्न प्रकार से हैः–

"As the officer did not submit A.P.A. in time hence enitiated exparte. The officer joined in July, 2004 and took 117 leave during the year. He did not show interest in office work. He was not found punctual and took senior's orders & instructions lightly. He was found most careless in his work and duties. He gave in complete closing of G.P.F. (2003-04). In Insurance Section suspense reduction and ledger posting work was found unsatisfactory.

He was given several instructions to improve his work. Which fell flat upon him. The work of Jodhpur City was found mest unsatisfactory during the year As he did not take interest in his work hence during the year, the official work deteriorated and declined."

9. वर्ष 2005–06 की एपीएआर में अंकित प्रतिकुल टिप्पणियां निम्न प्रकार से हैः–

"As the officer did not submit his APAR timely instead of so many reminders hence it is iniated expart. The officer was found to be missing from the office after signature. He does not take interst in office work. Hi is most careless in replying letters. He is habitual to take so many leave which weaken the office working. He does not follow senior officers instructions. He is not devoted to his duties.

He has been advised so many times orally in divisional meeting and in written in meetings minutes to improve his habit of taking leave, absenting himself from the office during office hours and to improve his working but he did not follow a single instructions. Actually he is not fit for Govt. service. He is a liability for the Deptt. rather an asset.

I doubt his sensitiveness for SC & ST follows.

I have got some letters from banks advocates and financial institutions which narrate about his financial irregularities. He does not seem to be honest in his financial dealings. "

10. उक्त दोनों वर्षों की एपीएआर में अंकित प्रतिकुल टिप्पणियों के आधार पर अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में अपीलार्थी का कार्य असंतोषप्रद होना माना गया है। उपरोक्त टिप्पणियों की गंभीरता व तथ्यों को देखते हुए हम यह नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी की उपरोक्त टिप्पणियां नजरअंदाज किये जाने योग्य नहीं है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपरोक्त प्रतिकुल टिप्पणियों के आधार पर अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखने की सिफारिश करने में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।
11. अतः प्रतिकुल प्रविष्ठियों को निरस्त किये जाने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। परिणामस्वरूप उपरोक्त दोनों अपीलों में हम कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः उपरोक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं।
12. आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 3729/2016 में रखी जावें एवं इसकी छाया प्रति अन्य अपील संख्या 3730/2016 में रखी जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)